**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़**

**पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार** (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| **15/2016** **(GCMS 2016/00153)** | **21.12.2016** | **23.03.2022** |

**अनवान**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी**

**बनाम**

1–श्री अंकित जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स गिरनार जनरल स्टोर चैंची रोड़ बस स्टेण्ड पोस्ट बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी मेन बस स्टेण्ड चैंची पोस्ट चैंची, जिला चित्तौड़गढ़

2–अंकुर अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल (फर्म मालिक) मैसर्स शाईन ट्रेडिंग कम्पनी एसबीआई कॉलोनी 619/36 पुलिस लाईन अजमेर जिला अजमेर निवासी 12 गणपति विहार कॉलोनी, शास्त्री नगर पोस्ट एवं जिला अजमेर

**अप्रार्थीगण**

**–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–**

**–:: निर्णय ::–**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.06.2015 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एस पी 01 दिनांक 26.10.2014 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया है और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.06.2015 को समय 11.00 ए.एम. पर मैसर्स गिरना जनरल स्टोर्स बस स्टेण्ड चैंची रोड़ पोस्ट बेगूं पर पहुँचा वहां पर अंकित जैन उपस्थित थे जिन्हें अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, विक्रेता ने स्वयं को फर्म मालिक होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा, मौके पर विक्रेता ने फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में परिसर निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ मसाले, नमकीन, आचार, बिस्किट, नूडल्स आदि विक्रय हेतु प्रदर्शित थी। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ नूडल्स (टॉप टेस्ट) 800 ग्राम पोलीपैक के 43 पैकेट्स दुकान की रेक में रखी हुई थी। उक्त खाद्य पदार्थ के मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य पदार्थ नूडल्स (टॉप टेस्ट) 800 ग्राम पोलीपैक के कय बिल की छायाप्रति मांगी विक्रेता ने वेट इनवाईस की छायाप्रति पेश की। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना फार्म नं 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ नूडल्स (टॉप टेस्ट) 800 ग्राम पोलीपैक के 04 पैकेट्स वास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 220/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ नूडल्स (टॉप टेस्ट) 800 ग्राम पोलीपैक के 04 पैकेटों को 4 बराबर–बराबर भागों में बांटकर 04 प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर 04 नमूना भाग तैयार कर, चार लेबल तैयार किये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त पेपर स्लिप संख्या एएम–550 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक लक्षमण लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/2312 दिनांक 07.07.2015 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/336/एक्ट/2015/359 दिनांक 18.06.2015 के अनुसार विक्रेता के यहां से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नूडल्स (टॉप टेस्ट) मिसब्राण्ड एवं सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 2312 दिनांक 07.07.2015 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये। प्रकरण में निर्धारित समयावधि एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर समयावधि बढ़ाने बाबत् अभिहित अधिकारी द्वारा आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), जयपुर को पत्र लिखा गया। आयुक्त जयपुर द्वारा प्रकरण में समयावधि 31 दिसम्बर, 2016 तक विस्तारित करने का आदेश जारी किया जिसके पश्चात् अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक/एफएसएसए/2016/5636 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण उक्त अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड एवं सबस्टैन्डर्ड नूडल्स (टॉप टेस्ट) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 मे निर्धारित है एवं अभियुक्त संख्या 2 ने खाद्य पदार्थ के क्रय के संबंध में थोक विक्रेता/निर्माता की सूचनाऐं न भिजवाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 (2)(D) का उल्लंघन किया है जो धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य है। अन्त में आवेदक खाद्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 नरेश कुमार चेजारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 समीत कुमार पुत्र सज्जन लाल जैन निवासी गंगाजलिया ग्राम व पोस्ट बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 आरीफ हुसैन पुत्र लियाकत अली निवासी दर्जियों का मौहल्ला, ग्राम व पोस्ट चैंची, जिला चित्तौड़गढ़ एवं गवाह संख्या 4 डॉ0 इन्द्रजीत सिंह, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई। नियमानुसार नमूना नहीं लिया गया और न ही मुझे जांच हेतु लिखित में कोई सूचना दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की सारे तथ्य गलत है। जांच रिपोर्ट अथवा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रकरण स्पष्ट रूप से अवधि पार प्रस्तुत हुआ है तथा इस हेतु निर्धारित समयावधि बढ़ाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अथवा किसी भी कानून की कोई अवहेलना नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा पोलीपैक नूडल्स ही खरीदे गये थे उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ नूडल्स (टॉप टेस्ट) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का कथन कि नमूना लेने की कोई सूचना नहीं दी गई मानने योग्य नहीं है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 04.06.2015 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 04.06.2015 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (टॉप टेस्ट) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-550** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 67 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रवाहक श्री लक्ष्मण लाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-550** मय लिफाफे के जमा कराये गये जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 10 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक लक्ष्मण लाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 05.06.2015 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 12 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 13 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2015/2312 दिनांक 07.07.2015 से अप्रार्थी संख्या 1 को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 336/ACT/2015/359 Dated 18-06-2015** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 336/ACT/2015/359 Dated 18-06-2015** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 67 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 09.06.2015 से 18.06.2015 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample Noodles (Top Taste) bearing code no. and serial no. AM-550 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh Is sub-standard under section 3(1)(zx) of the food safety and standards act 2006. The sample is also misbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a) of the food safety and standard act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-550** नूडल्स (टॉप टेस्ट) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zf)(A)(i)(a)** के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) एवं धारा 3(1)(**zx**) के तहत अवमानक (Sub-standard) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2015/2312 दिनांक 07.07.2015 से अप्रार्थी संख्या 1 को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। उक्त नमूने के संबंध में परिवाद संस्थित करने की 1 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जयपुर को अपने पत्रांक 4598 दिनांक 06.09.2016 से वाद संस्थित किये जाने की समयावधि बढ़ाये जाने हेतु निवेदन करने पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/एफएसएसए/एफ–110(ii)/2016/1040 दिनांक 14.10.2016 से परिवाद संस्थित करने की समय सीमा दिनांक 31.12.2016 तक विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करने से इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2016/5636 दिनांक 17.11.2016 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 19, 20 व 21 होकर रिकार्ड पर है। इस प्रकार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस में उठाये गये बिन्दुओं का खण्डन होता है तथा यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अवमानक (Sub-standard) है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है एवं निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है अथवा नहीं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खाद्य पदार्थ के क्रय के संबंध में थोक विक्रेता/निर्माता की सूचनाऐं नहीं भिजवाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 (2)(D) का उल्लंघन किया है।

अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** एवं धारा 27 (2)(D) का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** एवं धारा 27 (2)(D) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** एवं धारा 27 (2)(D) के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 51, 52 एवं 58 के अनुसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49, 51, 52 एवं 58 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्तगण श्री अंकित जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स गिरनार जनरल स्टोर चैंची रोड़ बस स्टेण्ड पोस्ट बेगूं, निवासी मेन बस स्टेण्ड चैंची पोस्ट चैंची, जिला चित्तौड़गढ़ को राशि 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल (फर्म मालिक) मैसर्स शाईन ट्रेडिंग कम्पनी एसबीआई कॉलोनी 619/36 पुलिस लाईन अजमेर जिला अजमेर निवासी 12 गणपति विहार कॉलोनी, शास्त्री नगर पोस्ट एवं जिला अजमेर को राशि 50000/– अक्षरे पचास हजार रूपये कुल राशि 60000/– अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official